

प्रो० राजीव कुमार
परीक्षा नियंत्रक



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ)

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उ०प्र०-226031

पत्रांक : ए०केटी०यू०/परी०नि०का०/2024/शा०परि०/1358

दिनांक: 11 नवम्बर, 2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी०टेक पाठ्यक्रम

संचालित करने वाली समस्त संस्थायें।

विषय: विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु बी०टेक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में होने वाले ब्रांच परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सत्र 2024-25 के बी०टेक० पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में होने वाले ब्रांच परिवर्तन, निम्न के अनुसार किये जायेंगे:

B.Tech students (except B.Tech Biotechnology and B.Tech Agriculture Engineering) who are promoted to third semester are eligible to apply for change of branch after completing the first year of the course. The following rules will be applied for change of branch as mentioned in ordinance for Undergraduate Course (B.Tech.) 2018-19.

1. Change of branch may be allowed only against the vacant seats in the third semester as per the university regulation as given.
2. Maximum number of students permitted to change the branch shall be 25% of the students enrolled (newly admitted and readmitted in first year in the respective branch) (s), subject to the strength of the class not decreasing below 75% of intake approved by AICTE. After branch change the intake must not be more than approved AICTE intake.
3. In second year (III Semester), a student with minimum **6.5 YGPA** or higher in first year without Carry Over Papers and has passed all the subjects in single attempt shall be eligible for branch change. Re-admitted student/ Ex-student/lateral entry student shall not be eligible for branch change.
4. Branch change in second year shall be made only against clear vacancy in the particular branch. Vacancy (V) being defined as:
 $V = I - (\text{Reg} + \text{Rep})$
I = AICTE Approved intake for the branch.
Reg = Number of Regular students promoted to III semester.
Rep = Number of Students re-admitted in III semester.
5. Vacancy shall be calculated in every branch within seven days after the declaration of first year (main) result of that academic session as on **08 November, 2024**. Any changes in the result after Carry Over Examination shall not affect the above calculated vacancy.
6. Fee waiver category students shall be eligible for branch change only against the approved intake for fee waiver in a particular branch. All norms pertaining to branch change including 1 to 4 shall be applicable for branch change of fee waiver category students only against fee waiver seats.
7. Branch Change Shall not be permitted to any course where **Reg + Rep > I**. Under no circumstances, there shall be any exception to this stipulation.
8. Branch change in second year shall be strictly in accordance with the merit list prepared by the College/Institute on the basis of YGPA obtained by a student in the first year.
 - a. In case of more than one student in a class having same YGPA, the student having secured a greater **NUMBER** of higher grades shall be placed higher in merit.
 - b. If the merit is still undecided after implementing rule 8(a) i.e. more than one student has identical grades in all subjects, then the student securing higher percentage of marks in first year shall be placed higher in the merit.

P.T.O

9. In case a student has applied for re-evaluation/scrutiny of his/her marks of first or second semester and the result has not been declared till the time of change of branch, then, such student shall not be entitled for change of branch on the basis of his/her subsequently revised result.
10. Branch change facility is not applicable to the students admitted to B.Tech. (Agricultural Engineering.)/B.Tech. (Bio-Technology).
11. Change of programme from one to another shall not be allowed i.e., a student admitted in one Undergraduate programme shall not be allowed to change to another Undergraduate programme.
12. The change of branch if allowed will become effective from B.Tech. III semester.
13. The Branch change process must be completed by **20 November, 2024**. Further change of branch shall not be permitted.


अवगत हो कि EWS श्रेणी में प्रवेश लिए गये छात्रों को विश्वविद्यालय के वर्तमान में लागू शाखा परिवर्तन नियम बिन्दू-6 में अंकित Fee Waiver श्रेणी के समान मानते हुए शाखा परिवर्तन EWS श्रेणी में स्वीकृत (अनुमोदित) सीटों में ही किया जाए।

- EWS श्रेणी में अनुमोदित सीटों को द्वितीय वर्ष में भी AICTE से अनुमोदित सीटों के समान अतिरिक्त ही रखा जाए।
- EWS श्रेणी में की गयी सीटों की गणना अन्य किसी भी प्रकार की, किसी अन्य श्रेणी में, शाखा परिवर्तन की प्रक्रिया में न सम्मिलित की जाए। शेष शाखा परिवर्तन के नियम यथावत् रहेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उक्त के अनुसार ब्रांच परिवर्तन कर संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक दशा में हस्ताक्षरित कर कार्यालय के ई-मेल coeoffice@aktu.ac.in पर दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को साय: 5:00 बजे तक प्रेषित करते हुए तथा हस्ताक्षरित हार्ड कापी को दिनांक 25 नवम्बर, 2024 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त तिथि के पश्चात शाखा परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा तथा उक्त तिथि के उपरान्त शाखा परिवर्तन संबंधी कोई भी प्रस्ताव स्वतः ही आमाम्य हो जाएगा।

भवदीय


(प्रो० राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रतिकूलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. अधिष्ठाता स्नातक/परास्नातक, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
3. संयुक्त/उप परीक्षा नियंत्रक, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
4. प्रभारी, ई०आर०पी०, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(प्रो० राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

सत्र-2024-25

डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

संस्था का नाम:..... (संस्था का कोड:.....)

बी0टेक0 द्वितीय वर्ष, तृतीय सेमेस्टर (सत्र 2024-25) में शाखा परिवर्तन की सूचना भेजने का प्रारूप
(वांछित सूचना एवं एक साथ प्रारूप के 'अ' तथा 'ब' भाग में भरी जायें, अलग अलग नहीं।)**भाग-(अ)****(बी0टेक0 प्रथम पाली)**संस्था में चल रहे बी0टेक0 पाठ्यक्रम की विभिन्न शाखाओं व सीटों का विवरण
(संस्था में चल रही सभी शाखाओं का विवरण एक साथ दिया जाये चाहे सम्बन्धित शाखा से/में परिवर्तन हुआ हो या नहीं)

क्रं सं०	शाखा का नाम (Name of Branch)	शाखा का कोड (Branch Code)	संस्था में AICTE द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या (2023-24) (a)	प्रथम वर्ष (2023-24) में Enrolled छात्रों की संख्या Readmitted छात्रों को शामिल करते हुए	तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत छात्रों + तृतीय सेमेस्टर में Readmitted छात्रों की संख्या कुल योग (c)	तृतीय सेमेस्टर में रिक्त सीटों की संख्या (b)	शाखा परिवर्तन के फलस्वरूप शाखावार छात्रों की संख्या	टिप्पणी तृतीय सेमेस्टर के Readmitted छात्रों की संख्या अलग भरी जाए (शाखावार)
							शाखा परिवर्तन के बाद संख्या	
			a		c	b = (a-c)		Readmitted
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
TOTAL-								

(भाग-ब) (बी0टेक0) सत्र-2024-25
शाखा परिवर्तित छात्रों का विवरण (शाखावार भरें।)

क्रमांक संख्या	शाखावार छात्रों का विवरण (Branch Wise) भरा जायें		उन छात्रों का विवरण जिनका शाखा परिवर्तित होना है तथा जिनके किसी भी सेमेस्टर/विषय में Carry Over Paper नहीं है।				परिवर्तित शाखा (Changed Branch)		टिप्पणी (Remark)
	अनुक्रमांक	नाम	शाखा का नाम (Name of Branch)	शाखा कोड (Branch Code)	कुल प्राप्तांक/अधिकतम अंक (YGPA/10)	प्राप्तांक (YGPA) के आधार पर मैरिट*	शाखा का नाम (Name of Branch)	शाखा कोड (Branch Code)	
1									
2									
3									
4									
5									
6									

* In case of more than one students securing identical YGPA in first year, the students securing a greater number of higher grades shall be placed higher in the merit.

टिप्पणी-:

- रिक्त सीटों की गणना दिये गये सूत्र के आधार पर ही की जाए।
- छात्रों के नाम से उनके अनुक्रमांक को मैच करने के बाद ही सर्तकता पूर्वक अनुक्रमांक व नाम की प्रविष्टि की जाय।
- तृतीय सेमेस्टर में **Lateral Entry** के माध्यम से प्रवेशित छात्रों (प्रथम वर्ष के रिक्त सीटों के सापेक्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों को छोड़कर) को किसी भी स्तर पर गणना में शामिल न किया जाए।
- FW** छात्रों के शाखा परिवर्तन को अध्यादेश में दिये गए प्रावधानों तथा परीक्षा नियंत्रक के परिपत्र के दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रारूप 02 ('अ' व 'ब') में प्रेषित करें। प्रारूप 01 ('अ' व 'ब') में किसी भी स्तर पर **FW** छात्रों को गणना सम्मिलित न किया जाए।

8.3

प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
(स्वयं प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)
सत्र-2024-25

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित सभी तथ्यों की जांच में स्वयं कर ली है, मैं संतुष्ट हूँ कि दिये गये सभी आंकड़े सही हैं तथा शाखा परिवर्तन के संशोधित अध्यादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रारूप 01 में संस्था स्तर पर योग्यता क्रम में सत्र 2023-24 में प्रवेशित उन्हीं छात्रों के शाखा परिवर्तन किये गये हैं जिन्होंने प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टर) की परीक्षा, सभी पेपरो में पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण की है और जिनके किसी भी सेमेस्टर/किसी भी विषय में Carry Over Paper नहीं है। Carry Over Paper धारक किसी भी छात्र को शाखा परिवर्तन नहीं किया गया है।

दिनांक:-

निदेशक:

स्थान:-

हस्ताक्षर

नाम:-

पदनाम:-

मुहर:-